

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 627 / 2015

संस्थापन दिनांक 25.08.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—बच्चूसिंह उर्फ छोटेसिंह तौमर उम्र 50 साल
 - 2—हुकुमसिंह पुत्र छोटेसिंह तौमर उम्र 40 साल
 - 3—नरेशसिंह पुत्र केहरीसिंह तौमर उम्र 46 साल
 - 4—अजबसिंह पुत्र छोटेसिंह तौमर उम्र 51 साल
- निवासीगण ग्राम चंदोखर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 353, 506 भाग दो भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.05.15 को 18:00 बजे ग्राम चंदोखर रामजानकी मंदिर जग्गा के पास थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर फरियादी सोनम अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा फरियादी सोनम अ0सा01 जोकि लोकसेवक पटवारी है को जबकि वह लोकसेवक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रही थी, को कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा फरियादी सोनम अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि की सहायता राशि वितरित करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के आदेशानुसार फरियादी सोनम अ0सा01 प्रभावित कृषकों के बैंक खाते एकत्रित करने के लिए सह पटवारी संदीप अ0सा03 और रामनिवास अ0सा02 के साथ अपने पटवारी हल्का ग्राम चंदोखर पर घटना दिनांक 03.05.15 को प्रातः 10 बजे पहुंची

और रामजानकी मंदिर पर ग्राम कोटवार व अन्य ग्रामवासियों को बुलाकर बैंक खाते प्राप्त कर रही थी तब शाम 4 बजे आरोपीगण उसके पास आये और उससे फर्जी इन्ट्री कराने को कहा सोनम असा01 ने मना किया तो आरोपी बच्चूसिंह सोनम अ0सा01 को अश्लील गालियां देकर अपमानित किया आरोपी हुकुमसिंह ने प्रभावित कृषकों की सूची फाड़ दी और आरोपी नरेन्द्र ने खाता नंबर उल्लिखित नस्ती को फाड़ दिया और मापीट करने के लिए आमादा हो गया तब संदीप अ0सा03 व रामनिवास अ0सा02 ने बचाया। तीनों आरोपीगण ने सोनम अ0सा01 को फर्श से मारने की धमकी दी और चले गये। इसके बाद आरोपी अजबसिंह ने भी आकर गाली गलौच की और असभ्यतापूर्ण व्यवहार किया पूर्व में भी नरेन्द्र के स्थान पर धमकी व दबाव बनाकर अरविन्द की कूटरचित प्रविष्टि कर धनराशि प्राप्त की गयी थी। तत्पश्चात फरियादी सोनम भदौरिया अ0सा01 के आवेदन प्र0पी-1 पर से थाना एण्डोरी में अप0क0 45/15 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-2 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-
 1. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 03.05.15 को 18:00 बजे ग्राम चंदोखर रामजानकी मंदिर जग्गा के पास थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर फरियादी सोनम अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया ?
 2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी सोनम अ0सा01 जोकि लोकसेवक पटवारी है को जबकि वह लोकसेवक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रही थी, को कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
 3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी सोनम अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का सकारण निष्कर्ष //

5. सोनम अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानती ओर साक्ष्य के दौरान उपस्थित रखने पर भी नहीं पहचान सकती है। वर्ष 2015 में मार्च अप्रैल माह में वह ग्राम चंदोखर में खाता नंबर इकट्ठा करने के लिए गयी थी जहां 25-30 काश्तकार खाता नंबर दे रहे थे और तीन व्यक्तियों ने गलत खाता नंबर डालने के लिए दबाव बनाया और नहीं डालने पर अभद्रता की। अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की यह उसे गांववालों ने बताया था और गांववालों ने बताया था कि कुछ लोगों ने नस्ती फाड़ दी है। इसके बाद गोहद आकर गांववालों द्वारा बताये गये नाम के आधार पर उसने शिकायत की थी और एस.डी.एम. को आवेदन प्र0पी-1 दिया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। एफआईआर प्र0पी-2 व नक्शामौका प्र0पी-3 के ए से ए भाग पर

उसके हस्ताक्षर हैं। इस सुझाव को इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय पटवारी रामनिवास अ0सा02 व संदीप अ0सा03 भी उसके साथ थे और यह बताने में असक्षमता व्यक्त की है कि आरोपी हुकुमसिंह, नरेन्द्रसिंह और बच्चूसिंह उसके पास आये और कूटरचित प्रविष्टि करने के लिए कहा और स्वतः कथन किया है कि बहुत सारे लोग आये थे इसलिए वह नहीं बता सकती कि कौन व्यक्ति थे। उसे गालियां दी गयी थीं परन्तु किसने दी उसका नाम व शक्ल नहीं जानती है। उसकी सूची फाड़ी गयी थी परन्तु किसके द्वारा फाड़ी गयी थी वह आज नहीं बता सकती और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि बच्चूसिंह ने उसे गालियां दीं और यह बताने में असक्षमता व्यक्त की है कि हुकुमसिंह ने सूची फाड़ी और नरेन्द्र ने नस्ती फाड़ी और मारपीट करने के लिए आमादा हो गये। यह स्वीकार किया है कि तीन लोग धारदार हथियार से मारने की धमकी देते हुए चले गये थे परन्तु वह कौन थे वह नहीं बता सकती। सोनम अ0सा01 ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आवेदन प्र0पी-1 व कथन प्र0पी-4 में उसने यह नहीं बताया कि आरोपीगण के नाम उसे गांववालों से पता चले थे। सोनम अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में ही कथन किया है कि वह नहीं बता सकती कि किन गांववालों ने आरोपीगण के नाम उसे बताये थे और पुलिस कथन प्र0पी-4 में भी आरोपीगण का नाम उल्लिखित किए जाने से इंकार किया है और इस सुझाव से इंकार किया है कि वह ग्राम चंदोखर में पदस्थ है इस कारण आरोपीगण को जानती है। प्रतिपरीक्षण में सोनम अ0सा01 ने कथन किया है कि मैं गेट पर मंदिर का चौकीदार था जो पब्लिक को अंदर नहीं आने दे रहा था और गेट के बाहर लोग शोरगुल कर कर्मचारियों को गाली गलौच कर रहे थे और प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में कथान किया है कि वह साक्ष्य के दौरान आरोपीगण धमेन्द्र और नरेश को पहली बार देख रही है और आरोपी अजबसिंह व हुकुमसिंह को भी नहीं पहचान सकती है।

6. साक्षी संदीप जैन अ0सा03 का कथन है कि वह तहसील गोहद के हल्का क्रमांक 20 नौनेरा का पटवारी है। वह सोनम भदौरिया अ0सा01 को जानता है तथा वह भी उसके साथ ही पटवारी है। दिनांक 03.05.15 को लगभग 10-11 बजे की घटना है जिला दण्डाधिकारी व एस.डी.एम. द्वारा ओलावृष्टि के हितग्राहियों की बैंक खाते की जानकारी एकत्रित करने की ड्यूटी लगाई गयी थी। ग्राम चंदोखर में रामसिया मंदिर पर वह रामनिवास ओझा पटवारी व सोनम भदौरिया पटवारी बैठे थे और बैंक एकाउन्ट नंबर एकत्रित कर रहे थे तब 10-10:30 बजे चार लोग फर्जी इन्द्राज कराने के लिए आये जिनका नाम वह नहीं जानता है और सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता है। गांववालों ने एक का नाम बच्चूसिंह, प्रभूसिंह बताये थे और अन्य दो लोगों के नाम याद नहीं हैं। वह सोनम भदौरिया अ0सा01 से फर्जी इन्द्राज कराने के लिए कह रहे थे और लिस्ट में नाम जुड़वाने की कह रहे थे जिससे उन्हें मुआवजा मिल सके। सोनम भदौरिया अ0सा01 ने मना किया तो वह अश्लील गालियां देने लगे और लिस्ट को फाड़ दिया। लिस्ट दो कॉपी में थी एक लिस्ट को फाड़ दिया था और दूसरी कॉपी वह चार लोग ले गये थे। एक नस्ती भी थी जिसे फाड़ दिया था वे लोग मारने के लिए आ ही रहे थे परन्तु गांववाले इकट्ठे हो गये थे। वह, रामनिवास अ0सा02 व गांववालों ने बीच बचाव किया था। उन चारों लोगों ने धमकी दी थी कि बाद में देख लेंगे। इसके बाद उसने घटना के बारे में राजस्व निरीक्षक को फोन पर सूचना दी जो ग्राम

ऐन्हों में थे। अभियोजन के सुझाव में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने आरोपी बच्चूसिंह, हुकुमसिंह, नरेश व अजबसिंह के नाम लिखाये थे और स्वतः कथन किया है कि गांववालों के कहने पर लिखाये थे जिन गांववालों ने उसे बताया था उनके नाम उसे नहीं मालूम। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह सोनम अ0सा01 और रामनिवास अ0सा02 अलगह-अलग बैठकर कार्य कर रहे थे कोई मंदिर पर, कोई पंचायत भवन पर, कोई गांव में थे। यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने सोनम अ0सा01 से फर्जी इन्द्राज करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया ना ही अभद्रता की गयी यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखी उसे घटना के बारे में किसने बताया उसे नहीं मालूम। यह भी स्वीकार किया है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता है।

7. रामनिवास अ0सा02 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है ना ही सामने आने पर पहचान सकता है। एक वर्ष पूर्व वह चंदोखर में खाता नंबर लेने गया था उसके साथ संजीव व सोनम अ0सा01 भी थे उस समय गांव में झगड़ा हो गया हो तो उसे नहीं पता और बाद में सोनम अ0सा01 ने बताया था कि गांव में झगड़ा हो गया था लेकिन कोई नाम नहीं बताये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि चार बजे चंदोखर में आरोपीगण ने मौजा पटवारी से फर्जी इन्ट्री करने को कहा। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि सोनम अ0सा01 ने मना किया तो उससे अश्लील हरकतें कर गालियां दी और सूची व नस्ती फाड़ दी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने व संदीप अ0सा03 ने बीच बचाव किया था और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-5 में भी दिए जाने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह कार्य पूरा करके एण्डोरी होते हुए गोहद आ रहा था तब आरोपीगण मंदिर पर मौजूद नहीं थे। सोनम अ0सा01 को आरोपीगण के नाम किसने बताये वह नहीं बता सकता।

8. साक्षी विनोदसिंह तौमर अ0सा04 का कथन है कि वह सोनम भदौरिया को जानता है जो पटवारी है। वह घटना दिनांक 03.05.15 को वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार ओला वृष्टि के हितग्राहियों के खाते की इकजाई सूची बनानी थी इसलिए वह पटवारियों की टीम बनाकर गया था। हल्का क्रमांक 3 चंदोखर की टीम के लिए सोमन भदौरिया अ0सा01, संदीप अ0सा03 व रामनिवास अ0सा02 को लिया था सुबह 10 बजे वह चंदोखर पहुंचा और वहां से ग्राम ऐन्हों चला गया। शाम चार बजे संदीप अ0सा03 ने उसे फोन पर बताया कि आरोपी बच्चूसिंह व तीन अन्य लोग से झगड़ा हो गया है जो फर्जी इन्द्राज कराना चाहते हैं और कागज फाड़ दिए हैं वह आधे घण्टे में ग्राम चंदोखर पहुंचा जहां कोई झगड़ा नहीं हो रहा था। सोनम अ0सा01 ने बताया कि कुछ लोगों ने गाली गलौच की व जान से मारने की धमकी दी व शासकीय कार्य में बाधा डाली। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपीगण ने सोनम अ0सा01 को बुरी-बुरी गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी और शासकीय कागज फाड़ दिए और स्वतः कथन किया है कि वह झगड़े के समय मौजूद नहीं था ग्राम ऐन्हों में था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी

ने कथन किया है कि वह आरोपी बच्चू को पहले से जानता था और यह स्वीकार किया है कि गांववालों के बताये आधार पर आरोपीगण के नाम लिखे हैं उस व्यक्ति को कुछ नहीं पता।

9. साक्षी शाहबुद्दीन अ0सा05 ने कथन किया है कि पिछले वर्ष ओलावृष्टि के पैसे बंट रहे थे किसान के खाते इकट्ठे हो रहा था उसे मुनादी के लिए भेजा था। 2-3 जगह गांव के पटवारी मंदिर व पंचायत में बैठे थे उसके सामने कुछ नहीं हुआ। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 03.05.15 को आरोपीगण ने पटवारी से फर्जी इन्ट्री करने को कहा और रिकार्ड फाड़कर मारने पर आमादा हो गये। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-8 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

10. अतः फरियादी सोनम अ0सा01 ने आरोपीगण द्वारा ही अपराध घटित किए जाने से इंकार किया है और गांववालों से उल्लिखित आरोपीगण का नाम ज्ञात होना बताया है जिन व्यक्तियों से उसे नाम ज्ञात हुआ वह स्पष्ट नहीं कर सकी है। विनोदसिंह अ0सा04 ने मात्र आरोपी बच्चूसिंह का उल्लेख किया है। जो भी संदीप अ0सा03 द्वारा ही बताया जाना ही व्यक्त किया है जबकि संदीप अ0सा03 ने ही न्यायालयीन साक्ष्य में बच्चूसिंह का नाम अन्य गांववालों से ज्ञात होना बताया है। जिनके नाम भी वह स्पष्ट नहीं कर सका है और प्रतिपरीक्षण में स्वयं के समक्ष आक्षेपित घटना घटित होने से इंकार किया है। अतः विनोदसिंह अ0सा04 ने निर्बल अनुश्रुत साक्ष्य पेश की है। घटना के अन्य प्रत्यक्ष साक्षी संदीप अ0सा03 व रामनिवास अ0सा02 ने स्वयं के समक्ष आरोपीगण द्वारा ही सोनम अ0सा01 के विरुद्ध अभियोजित घटना घटित होने से इंकार किया है। अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर है और प्रत्यक्ष साक्षी स्वयं फरियादी सोनम अ0सा01 व संदीप अ0सा03 व रामनिवास अ0सा02 व शाहबुद्दीन अ0सा05 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। विनोद अ0सा04 ने स्वयं को घटना का प्रत्यक्ष साक्षी होने से इंकार किया है।

11. अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 03.05.15 को 18:00 बजे ग्राम चंदोखर रामजानकी मंदिर जग्गा के पास थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर फरियादी सोनम अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा फरियादी सोनम अ0सा01 जोकि लोकसेवक पटवारी है को जबकि वह लोकसेवक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रही थी, को कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा फरियादी सोनम अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

12. परिणामतः आरोपीगण को धारा 294, 353, 506 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0